



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रेखा बनाम गहावीर (नर्गर)

किस्म मुकदमा प्रा०पत्र 111-12-8 नं० 135 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
23.6.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावलो दिनांक 28.6.23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>28/6/23 पगावली महंगाई राहत कैम्प ऐव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 गुम पचायत माण्डल मे पेश हुई, विपक्षी 4 लगायत 4 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए फिले 2100 फा किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 5 के सिद्ध करे अनुमोष नहीं चाहे है वकील प्रार्थिया का जाणफर वकील कर दिया जाकर निर्णय प्रथक से लिखा जाकर 2100 फा दिया गया। पगावली के सब शुभार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>विपक्षी सं-5 के विरुद्ध हुकम अहकाम जारी नहीं-वाहता 5 </p>

हुकमीचन्द्र सिंहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 135/23 प्राप्पत्र

1- रैरवा पो श्री उदयलाल श्वाती निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री मलार्जर पो श्री मोहनलाल दर्जी निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल (वार्डर)
(सिद्धांकि प्राप्पत्र संख्या)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 4912 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 4912 कुल किता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023